



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2100]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936

No. 2100]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2645(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013 जो सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 16.12.2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 जो सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16.01.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसरण में और केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, यथा-संशोधित, के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा का.आ. संख्या 896(अ), दिनांक 26.03.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. अधिसूचना की सारणी 1 में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़कर उसे विस्तारित किया जाएगा:

“

गुजरात			
85	1680 (अ)	21.07.2011	उंदवाड़िया
86	625 (अ)	12.03.2013	खेमना
87	844 (अ)	27.04.2011	सूरजबाड़ी
88	2923 (अ)	17.12.2012	काठपुर
89	2922 (अ)	17.12.2012	वंतडा
90	624 (अ)	12.03.2013	वघासिया

”

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/2013-14]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th October, 2014

S.O. 2645(E).— Pursuant to National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 published vide G.S.R. 778 (E), dated 16.12.2013 and National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2014 published vide G.S.R. 26 (E), dated 16.01.2014 and in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. No. 896(E), dated 26.03.2014.

1. Table 1 of the Notification, shall be extended by adding the following rows:

“

Gujarat			
85	1680 (E)	21.07.2011	Undvaria
86	625(E)	12.03.2013	Khemana
87	844 (E)	27.04.2011	Surajbari
88	2923(E)	17.12.2012	Kathpur
89	2922 (E)	17.12.2012	Vantada
90	624(E)	12.03.2013	Vaghasia

”

[F. No. NHAI/13013/ CO/ 2013-14]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.